

## मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./लेखा/2017/61  
प्रति,

जबलपुर, दिनांक 19/01/2017

कार्यालय अधिष्ठाता/प्रिंसिपल


विषय :- मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से प्रदान की गई अग्रिम राशि के व्यय के संबंध में दिशा-निर्देश।

:- द्वारा परीक्षा नियंत्रक म.प्र. आयुर्विज्ञान वि.वि. जबलपुर।

विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से परीक्षा कार्य के आयोजन हेतु आपको समय-समय पर राशि उपलब्ध कराई गई थी जिसके दिशा निर्देश इस प्रकार है।

- केन्द्राध्यक्षों को परीक्षा संपन्न कराने हेतु अग्रिम राशि प्रदान की जाती है, यह तथ्य ध्यान में आया है कि उक्त अग्रिम राशि का समायोजन नियत तिथि तक नहीं कराया जा रहा है, जिस कारण शासकीय धन राशि संबंधित के पास लंबित रहती है।
- अग्रिम राशि का समायोजन परीक्षा संपन्न होने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर कराना आवश्यक है।
- व्यय राशि के पश्चात् शेष बची राशि विश्वविद्यालय के खाते में शीघ्र जमा कराना सुनिश्चित करें एवं विश्वविद्यालय को अवगत करावें।
- अग्रिम राशि का उपयोग संलग्न प्रपत्र के अनुसार ही किया जावे।
- उपयोग की गई राशियों के देयको/संबंधित अभिलेखों का समायोजन अपने कार्यालय स्तर पर कर, उन दस्तावेजों/अभिलेखों का संग्रहण अपने ही कार्यालय में रखे (विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर व्यय अभिलेख विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने होंगे) केवल समायोजन पत्रक/उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्राध्यक्ष द्वारा सत्यापित कराकर, शीघ्रातिशीघ्र विश्वविद्यालय को प्रेषित कराने का कष्ट करें। (समायोजन प्रपत्र संलग्न)
- राशि का समायोजन करते समय केन्द्राध्यक्ष निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान रखें।  
(अ) यात्रा देयक के साथ संलग्न देयकों जैसे-होटल बिल आदि प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर ही प्रस्तुत किया जावें।  
(ब) यात्रा भत्ता देयक के प्रमाणपत्र पर संबंधित के हस्ताक्षर अवश्य कराये जावें।
- म. प्र. वि. सं. नियम 271 के तहत जब तक प्रथम अग्रिम का समायोजन नहीं किया जावेगा, तब तक दूसरी अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
- देय अग्रिम का समायोजन अग्रिम प्राप्ति के 3 माह या वित्तीय वर्ष जो भी पहले हो, समायोजन करना आवश्यक होगा, अन्यथा अग्रिम की राशि ब्याज सहित संबंधित से वसूल की जावेगी, भविष्य में वित्त संहिता के नियम का पालन करना सुनिश्चित करें। अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही होने पर, अग्रिम प्राप्त कर्त्ता उत्तरदायी होंगे।
- किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए केन्द्राध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।
- यदि कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वि.वि. से तुरंत संपर्क कर दिशा निर्देश प्राप्त करें।


(माननीय कुलपति द्वारा अनुमोदित)



प्रकोष्ठ प्रभारी (परीक्षा)  
म. प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
जबलपुर

प्रतिलिपि:- 61A

- कुलपति/कुलसचिव महोदय, म.प्र.आ.वि.वि. जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- वित्तनियंत्रक, म.प्र.आ.वि.वि. जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



प्रकोष्ठ प्रभारी (परीक्षा)  
म. प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
जबलपुर

### Samayojan Patrak

Receipts				Payments			
Date	Particular	Remark	Advance Rs.	Date	Particular	Bill No.	Expances Rs.
<b>Total</b>				<b>Total</b>			
<b>Balance</b>				<b>Balance</b>			
<b>Page Total</b>				<b>Page Total</b>			



II	<b>THEORY EXAMINATIONS</b>	
i)	<b>REMUNERATION FOR PRELIMINARY ARRANGEMENT (RATE PER EXAMINATION)</b>	
	A) ADMINISTRATION OFFICER/OFFICE SUPERINTENDENT	250/-
	B) CLERK(ONE FOR EVERY 200 STUDENT)	200/-
	C) IT PERSONNEL /SKILLED STAFF (ONE FOR EVERY 400 STUDENT)	200/-
	D) PEON(ONE FOR EVERY 200 STUDENT)	100/-
	E) CONTINGENCY EXPENDITURE (INCLUDE STATIONERY, POSTAGE AND OTHER EXAM INCIDENTAL EXPENSES) (SUBJECT TO MINIMUM OF RS.500)	RS.7/- PER CANDIDATE PER SHIFT
ii)	<b>CONDUCT OF THEORY EXAMINATIONS AT EXAM CENTER</b>	
	A. CHIEF- SUPERINTENDENT	RS.500/-PER SHIFT
	B. DY. CHIEF-SUPERINTENDENT (ONE FOR EVERY 200 CANDIDATES )	RS.400/- PER SHIFT
	C. ASSISTANT SUPERINTENDENT (ONE FOR EVERY SIX INVIGILATORS)	RS.250/- PER SHIFT
	D. INVIGILATOR (ONE INVIGILATOR FOR EVERY 20 CANDIDATES)	RS.200/- PER SHIFT
	E. OFFICE SUPERINTENDENT (ONE PER EXAMINATION)	RS.150/- PER SHIFT
	F. CLERK (ONE FOR EVERY 200 STUDENT)	RS.100/- PER SHIFT
	G. COMPUTER OPERATOR /SKILLED STAFF (ONE FOR EVERY 400 STUDENT)	RS.100/- PER SHIFT
	H. WATCHMAN (ONE FOR EVERY 100 STUDENT)	RS.50/- PER SHIFT
	I. PEON / Waterman (ONE FOR EVERY 50 STUDENT)	RS.50/- PER SHIFT

III	<b>(i) OBSERVER (ONE PER EXAM CENTER)</b>	
	a) FOR SINGLE SESSION	RS.1000/-PER DAY
	b) FOR DOUBLE SESSION	RS.1500/- PER DAY
	<b>(ii) FLYING SQUAD MEMBERS</b>	
	a) FOR SINGLE SESSION	RS.1000/-PER DAY
	b) FOR DOUBLE SESSION	RS.1500/- PER DAY

